

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.18(13)नविवि/जयपुर/2016


जयपुर, दिनांक 12.4.18

आदेश

एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 8.7 (ii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

" सहकारी समितियों की 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं में 90 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों में अग्र सेटबैक शून्य एवं अन्य योजनाओं में 90 वर्गमीटर तक आवासीय भूखण्डों पर अग्र सेटबैक न्यूनतम 1.5 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा।"


राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम